सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 37/2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

नेमीचन्द पुत्र बालचंद निवासी ग्राम सावर तह. सावर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार सावर तह. सावर जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 04.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित के खसरा नम्बर 2520/5872, 2520, 2520/5448 जो कि प्रार्थीगण के नाम खातेदार दर्ज है । अप्रार्थी की के खसरा नम्बर 256/5879, 2520/2520 कुल रकबा 0.05 में से प्रार्थना पत्र वर्णित प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने के लिए रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्राथीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु छोटा या लम्बा कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली में तहसीलदार सावर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केम्प कोर्ट सावर मे पेश हुई । अप्रार्थी उप.।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर के प्रार्थी श्री नेमीचन्द पुत्र बालचंद कौम महाजन ने उक्त खसरा नम्बर में आने जाने के लिये धारा 251 ए के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2520/5359 मेंसे रास्ता दिलवाये जाने के प्रकरण में चाहे गये रास्ते पर आने जाने ᑊ उक्त खसरा नम्बर एवं अजमेर –कोटा मार्ग के मध्य सिवायचक खसरा नम्बर 2520/5359,खातेदारी खसरा नम्बर 6066/5359 व ख.न. 6060/5879 आते है। उक्त खसरा नम्बर मेंसे 8 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने पर क्षैत्रफल एंव डीएलसी दर से निम्नानुसार राशि बनती है।

क्र.स	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है.	खातेदार	रास्ते हेतु है.	डी.एल.सी.	डी.एल.सी. अनुसार भूमि की कीमत मय दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2520 / 5359	0.35	सिवायचक	0.01	6,13,000	24520
2	6086 / 5359	0.32	संदीप पुत्र विनयकुमार सा.देह ,कुलदीप पुत्र लादूराम नसाणा कौम जाट सा.मौखमपुरा तह. दूदू	0.03		73560
3.	6060 / 5879	0.81	ओमप्रकाश पुत्र लादूराम माली सा.देह	0.01		24520

उक्त खसरा न. पर पहुच का कोई वैकल्पितक छोटा मार्ग नही है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम सावर के खसरा नम्बर 2520 / 5359, 6086 / 5359, 6060 / 5879 में से क्रमशः रकबा 0.01, 0.03, 0.01, हैक्ट का रास्ता डीएलसी दर से उपरोक्तानुसार कॉलम स. 7 में वर्णित राशि प्रार्थी द्वारा जमा राजकोष या भुगतान किये जाने पर वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी